

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

SEP 06 2011

Co
26/11/11

संख्या: 1880/पी3-18/यू.आर.आर.डी.ए./11

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 500 एवं इससे अधिक जनसंख्या की बसावटें, जो कोर नेटवर्क के अनुसार पूर्व में स्वीकृत/निर्मित/निर्माणाधीन मोटर मार्गों से संयोजित होनी दर्शायी गयी हैं, किन्तु स्थल की विषम भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कतिपय कारणों से संयोजित नहीं हो पायी है, ऐसी चिन्हित 28 बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार आवश्यक सत्यापनोपरान्त सूची तैयार की गयी है। इन मार्गों के विस्तृत सर्वेक्षण, डी0पी0आर0 एवं तथा मार्गों के समरेखण में पड़ने वाली वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(विनोद फोनिया)

सचिव

ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी एवं कुमाऊँ क्षेत्र, अल्मोड़ा।
3. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी एवं उत्तरकाशी।
5. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/ए0डी0बी0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़, श्रीनगर, टिहरी एवं ज्योलीकोट।
6. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), कपड़ोद, बागेश्वर, पौड़ी, कर्णप्रयाग, चम्पावत, देहरादून (कालसी), नैनीताल, पिथौरागढ़, डीडोहाट, रुद्रप्रयाग, टिहरी-2 एवं उत्तरकाशी।

संलग्नक: यथोपरि।

सचिव

ग्राम्य विकास विभाग

P. C. A. A. A. A. A.

सहायक अभियन्ता

सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०

पिथौरागढ़

[illegible]

P. C. Attended

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड ली०नि०वि०
पिथौरागढ